राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांकः एफ 1(22)ग्रावि/नरेगा/NBA/2012–13 जयपुर, दिनांकः 29.10.2014

जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा एवं जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :– निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज का पत्र क्रमांकः परावि/सीसीडीयू/स्वच्छ भारत मिशन/2014–15/3497 दिनांक 10.10.2014।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है। उक्त आदेश की प्रति संलग्न है। इसका बिन्दु सं. 6 मनरेगा योजना से सम्बन्धित है। इस पर उल्लेख है कि **"व्यक्तिगत घरेलु शौचालय के निर्माण हेतु मनरेगा से मिलने वाला प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब घरेलु शौचालय के निर्माण हेतु भारत सरकार के द्वारा दिया जानेवाला अंशदान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा वहन किया जाएगा।"**

यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावी होंगे, परन्तु अर्जित भौतिक प्रगति/लम्बित भुगतानों एवं मनरेगा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु जारी हो चुकी मस्टररोल के अनुरूप निर्मित किये गये शौचालयो की प्रोत्साहन राशि का पुनर्भरण पूर्व में जारी व्यवस्था अनुसार सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डा. समित शर्मा)
आयुक्त, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

निर्मल राजस्थान

प.रा.वि./सी.सी.डी.यू./स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0)राज/2014–15/3497 जयपुर दिनांक : 10.10.14

जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष
जिला कलक्टर एवं सहअध्यक्ष
जिला स्वच्छता मिशन
जिला - समस्त

विषय – निर्मल भारत अभियान का पुर्नगठन कर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) के कियान्वयन के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्र कमांक– डी.ओ- W11013/08/2014(Pt) dated 30 sep 2014 ।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 से निर्मल भारत अभियान को पुर्नगठित कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. **व्यक्तिगत घरेलु शौचालय के निर्माण की इकाई लागत को रूपये 10,000/– से बढ़ाकर रूपये 12,000/–कर दिया गया है, जिसमें जल की उपलब्धता, पानी का संग्रहण, हाथ धोने एवं शौचालय के स्वच्छता की सुविधा के प्रावधान भी सम्मिलित है।**
   इसके अन्तर्गत पानी के कनेक्शन की दशा में शौचालय के छत पर पानी की टंकी एवं नल कनेक्शन एवं कनेक्शन की उपलब्धता नही होने की दशा में पानी की टंकी एवं हाथ धोने हेतु पृथक व्यवस्था टंकी के अतिरिक्त सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
2. **केन्द्र सरकार का अंशदान रूपये 9000/–(75%) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) से वहन किया जाएगा। राज्य का अंशदान रूपये 3000/– (25 %) होगा।**
3. **इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलु शौचालय के निर्माण हेतु अलग से प्रावधान किया जाएगा। आगामी आदेशों तक मौजूदा राशि की व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के तहत ही जारी रहेगी।**
4. **आई.ई.सी. का प्रावधान कुल परियोजना लागत का 8 प्रतिशत रहेगा, जिसमें 3 % राशि भारत सरकार व 5 % राशि राज्य सरकार के द्वारा उपयोग मे ली जाएगी।**
   योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में हुए व्यय का 5 % राशि में से 1/3 राशि राज्य स्तर पर एवं 2/3 राशि मे से प्राथमिकता कम में व्यवहार परिवर्तन के उपरान्त शौचालय निर्माण किए जाने की दृष्टि से 60 प्रतिशत तक राशि अन्तर वैयक्तिक गतिविधियों (IPC) (ग्राम पंचायतों पर जारी दिशा निर्देशानुसार प्रेरकों के नियोजन, खुले में शौच से मुक्त एवं निर्मल ग्राम पंचायत घोषित होने पर पृथक – पृथक 8000/– रूपए, एक साल तक ODF Status Sustain रहने पर 6000/– रूपए प्रति ग्राम पंचायत प्रेरकों को दिए जानेवाला एक मुश्त पारितोषिक,जिला संदर्भ व्यक्तियों द्वारा 3 दिवसीय शर्मशार यात्रा आयोजन एवं 1 दिवसीय फोलोअप कैम्प पर होनेवाला व्यय,प्रेरको को दिए जानेवाले 75 रूपये प्रति शौचालय मानदेय का भुगतान) हेतु तथा शेष 40 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण का आयोजन,चिन्हित ग्राम पंचायतों में खुले में शौच से मुक्त प्रथम 3 माह तक स्वच्छता दिवस आयोजित करने पर अनुमत 5000 रूपये प्रति माह व्यय, SHACS Plan के अन्तर्गत IPC activities को छोड़कर अनुमोदित गतिविधियों पर व्यय किया जाना अनुमत होगा, परन्तु उपरोक्त व्यय सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त अन्तपरिर्वतनीय (Inter changable) होगा।
5. **कुल परियोजना लागत का 2 % प्रशासनिक व्यय निर्धारित किया गया है जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार का योगदान 75:25 रहेगा।**

6. व्यक्तिगत घरेलु शौचालय के निर्माण हेतु मनरेगा से मिलने वाला प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब घरेलु शौचालय के निर्माण हेतु भारत सरकार के द्वारा दिया जानेवाला अंशदान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा वहन किया जाएगा।
7. निर्मल भारत अभियान के अन्य सभी घटक जैसे कि ठोस एवं तरल कचरा प्रंबन्धन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर यथावत रहेंगे। ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन के लिए केन्द्र व राज्य का अंशदान क्रमशः 75:25 एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए केन्द्र राज्य एवं समुदाय का अंशदान क्रमशः 60:30:10 रहेगा।
   सामुदायिक स्वच्छता परिसर के कार्य तभी स्वीकृत किए जा राकेंगे, जब संबंधित ग्राम पंचायत/ट्रस्ट/अन्य द्वारा निरंतर पानी की उपलब्धता एवं स्थाई परिचालन एवं रख–रखाव का उत्तरदायित्व (Sustanable O&M is assured) की अन्डरटेकिंग लिए जाने के उपरान्त सुनिश्चितता कर बाजार/बस स्टेन्ड/पेरी अरबन एरिया/जनगणना कस्बो(Census towns)आदि गें सामुदायिक स्वच्छता परिसर/सार्वजनिक शौचालय(Public toilet)सार्वजनिक निजी भागीदारी(PPP)/व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding) के तरह भी स्वीकृत किए जा सकेंगे।
8. पाठशाला शौचालयों के निर्माण सर्व शिक्षा अभियान और आंगनबाड़ी में शौचालयों के निर्माण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तरदायी रहेगा।
9. स्वच्छता कार्यक्रम की रणनीति व्यवहार परिवर्तन कर मांग सृजन की विधि पर रहेगी,जिससे शौचालयों का उपयोग सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ मीडिया का प्रभावी उपयोग स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के महत्व के प्रसार हेतु किया जाएगा।
10. मोनेटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी जिससे कार्य परिणाम (शौचालय का निर्माण) एवं प्रतिफल(उपयोग) का पर्यवेक्षण हो सके। 12वीं योजना की समाप्ति पर कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा होगी।
11. राज्य द्वारा कियान्वयन नीति, ए.आई.पी. मिशन की राय से बनाई जाएगी एवं उन राज्यों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो योजना के अनुसार कार्य करेंगे। उन राज्यों को जो समय से पूर्व कार्य पूरा करेंगें उन्हें और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
12. शौचालय निर्माण एवं ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन के तकनीकी विकल्प मिशन द्वारा दिए जाएंगे और उच्च तकनीकी विकल्पों की अनुमति दी जाएगी किन्तु इसके लिए प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

इस विषय मे लेख है कि :–

- आदेश जारी दिनांक से प्रभावी होंगे परन्तु संलग्न प्रगति अनुसार अर्जित भौतिक प्रगति/लम्बित भुगतानों एवं नरेगा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु जारी हो चुकी मस्टररोल के अनुरूप निर्मित किए गए शौचालयों की प्रोत्साहन राशि का पुर्नभरण पूर्व में जारी व्यवस्थानुसार सुनिश्चित किया जावे।
- विकास अधिकारी/सम्बन्धित ग्राम पंचायत से प्रमाणपत्र लिया जावे कि कोई निर्मित/पूर्ण शौचालय ऐसा नही है जिसका भुगतान किया जाना शेष है। उसकी सुनिश्चितता उपरान्त पूर्व में जारी स्वीकृतियों में से शेष शौचालय विहीन परिवारों की स्वीकृति आदेश जिससे पूर्व में जिला परिषद/विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृतियां जारी की गई है का हवाला देते हुए संशोधित स्वीकृति परिवार–वार उपरोक्तानुसार 15 दिवस में जारी किया जाना सुनिश्चित करावे।
- लाभार्थी द्वारा स्वयं के संसाधनों से निर्मित शौचालयों के आदेश दिनांक 3.1.2014 (संलग्न) के अनुसार योजनान्तर्गत पारितोषिक के (समयबद्ध 7 दिवस में) ग्राम पंचायतों से भुगतान करने हेतु

जारी किए जानेवाले उपयोगिता प्रमाणपत्र में शौचालय निर्माण की प्रगति के दौरान एवं पूर्णता उपरान्त दो फोटो प्रेरक/रोजगार सहायक से प्रमाणित शुदा चिपकाने उपरान्त ही संशोधित स्वीकृतियों के पारितोषिक का भुगतान लाभार्थी को किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

विस्तृत दिशा–निर्देश भारत सरकार के द्वारा बाद में जारी किए जाएंगे।

संलग्न :– भारत सरकार का पत्र

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री जी
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रा.वि.एं. प.रा.वि.राज.
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव,राजस्थान
4. निजी सचिव, सचिव,पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय/मनरेगा,ग्रामीण विकास विभाग,भारत सरकार
5. निजी सचिव, संयुक्त सचिव(स्वच्छता),पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय,भारत सरकार
6. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव ग्रा.वि.एं. प.रा.वि/शिक्षा/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महिला एवं बाल विकास विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
7. निजी सचिव,शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
8. निजी सचिव, आयुक्त, पं.रा.वि.राज
9. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, ग्रा.वि.वि.
10. निदेशक,स्वच्छ भारत अभियान, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय,भारत सरकार
11. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि./पं.रा. वि./ई.जी.एस.
12. अति आयुक्त एवं संयुक्त सचिव,पंरा.वि.
13. अति उपायुक्त,प्रशिक्षण,पंरा.वि.
14. अति0 मुख्य अभियन्ता, पं.रा.वि.
15. अधीक्षण अभियन्ता,ग्रा.वि.ब्रि./पंचायतीराज/ई.जी.एस,जयपुर
16. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद – समस्त
17. जिला परियोजना समन्वयक,एन.बी.ए. जिला –समस्त
18. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, सीसीडीयू (स्वच्छता)

t 489

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायतीराज)

एफ.4 ( ) परावि/एनबीए/सीसीडीयू 62957 जयपुर, दिनांक : 3-1-2014

जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष,
जिला कलक्टर एवं सह अध्यक्ष
जिला स्वच्छता मिशन
जिला समस्त।

विषय :– निर्मल भारत अभियान अन्तार्गत निर्मित शौचालयों के समय बद्ध भुगतान बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत वर्ष 2013–14 हेतु चिन्हित ग्राम पंचायतों को शत प्रतिशत निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाया जाना सुनिश्चित करावें।

1. चिन्हित ग्राम पंचायतों में बेस लाईन सर्वे के आधार पर समस्त एपीएल/बीपीएल परिवार जिनके शौचालय का निर्माण किया जाना अपरिहार्य है की स्वीकृति निर्मल भारत अभियान की मार्गदर्शिका के प्रावधानुसार एक ही स्वीकृति (एनबीए–नरेगा कर्न्वेजेन्स) 15 दिवस की अवधि में जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. स्वप्रेरित होकर शौचालय का निर्माण किये जाने वाले लाभार्थियों को नियत समय में एनबीए मद में भुगतान की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी द्वारा शौचालय पुर्णता की रिर्पोट परिशिष्ठ "ब" में प्रस्तुत किये जायेगा। लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्णता प्रमाण पत्र पर भौतिक सत्यापन (पुर्णता रिर्पोट) ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक/ग्राम सेवक द्वारा प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जा सकेगा। इस तरह से भुगतान किये गये प्रमाण पत्रो का क्षेत्र भ्रमण के दौरान रेन्डमली (अलग–अलग गली मौहल्ले/गॉव) शौचालयो का निरीक्षण पंचायत समिति के ब्लॉक कोर्डिनेटर/नामित प्रसार अधिकारी द्वारा 20 प्रतिशत एवं जिले स्तर से जिला परिषद के जिला समन्वयक/प्रभारी अधिकारी द्वारा 5 प्रतिशत किया जावेगा ताकि कोई अनियमितता की स्थिति मे पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा सुधारात्मक/प्रभावी कदम क्रियान्वित के संदर्भ मे लिया जा सके। (एनबीए मद अन्तर्गत देय राशि नरेगा अन्तर्गत श्रमिको को देय राशि के भुगतान से पूर्व ही प्रोत्साहन राशि के रूप मे शौचालय पूर्ण होने एवं उपयोगिता सुनिश्चित कर दी जा सकेगी)
3. जिला परिषद द्वारा प्राथमिकता क्रम में चिन्हित निर्मल ग्राम पंचायतो को (ई बैंकिंग के माध्यम से) शौचालय विहीन परिवारो के (Saturation Approch) स्वीकृत शौचालय का अधिकतम 25 प्रतिशत शौचालयो की (4600 रू प्रति शौचालय इकाई) राशि अथवा 5 लाख रू मे से जो भी कम हो अग्रिम स्वरूप रिवाल्विंग फंड के रूप मे उपलब्ध करायेगे।
4. अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाली राशि का पृथक से खाता ग्राम पंचायत द्वारा संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। पंचायतो द्वारा शौचालय के पूर्णता सुनिश्चित करने के पश्चात लाभार्थी को 4600 रू पारितोषिक के रूप मे **शौचालय निर्माण के अधिकतम 7 दिवस मे ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी को सीधे ही ई बैंकिंग के माध्यम से लाभार्थी के खाते में एवं खाता धारक नही होने पर चेक द्वारा भुगतान की सुनिश्चिता की जावेगी। ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी को किसी भी अवस्था मे नगद भुगतान अनुमत नही होगा।**
5. ग्राम पंचायत द्वारा इकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र (संलगानुसार–स) प्राप्त राशि का 60 प्रतिशत व्यय कर प्रस्तुत करने पर आगामी रिवालविंग फंट पुर्नभरण कर जिला परिषद द्वारा अधिकतम 7 दिवस में ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जावेगा(ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थियों के पृथक–पृथक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नही होगा सिर्फ संलग्नानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ शौचालय निर्मित वाले लाभार्थियों की सूची जिसमें ग्राम सेवक एवं सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर ही अपरिहार्य होगे)। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जावे कि जारी रिवाल्विंग फंड का ग्राम पंचायते एक माह मे आवश्यक रूप से पुनर्भरण कर समायोजन करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
6. दिये गये रिवाल्विंग फंड की साप्ताहिक समीक्षा जिला परिषद स्तर पर आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे। **यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये रिवाल्विंग फंड का उपयोग न कर रोके रखे (Blocked) जाने अथवा लाभार्थी को भुगतान मे विलम्ब की अवस्था मे संबंधित के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर राज्य स्तर पर अविलम्ब अवगत कराना सुनिश्चित करावे।**
7. ऐसे लाभार्थियों को जो शौचालय का निर्माण स्वप्रेरित होकर कर रहे है को नरेगा से मस्टर रोल उपलब्ध कराने के दायित्व के साथ–साथ ग्राम पंचायते लाभार्थी को सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से लाभार्थी की मांग के आधार पर किसी स्थानीय सप्लायर के माध्यम से सामग्री उपलब्ध करा सकेगे। जिसका पुर्नभरण लाभार्थी द्वारा सीधे ही सप्लायर को किया जावेगा।

संलग्न :– प्रपत्र

(अपर्णा अरोरा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि.राज ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव ,ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि.राज ।
3. निजी सचिव शासन सचिव एवं आयुक्त , पं.रा.वि.राज।
4. मुख्य/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद समस्त।

निदेशक सामाजिक (स्वच्छता)

परिशिष्ट–ब

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत लाभार्थियों द्वारा पारितोषिक राशि प्राप्त करने हेतु शौचालय का पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र

1. नाम लाभार्थी – ————— पिता का नाम—————————जाति——————
2. ग्राम ————ग्राम पंचायत—————पं0स0—————जिला——————
3. श्रेणी (उपयुक्त श्रेणी में करें) – बी.पी.एल.(कार्ड कमांक–)/ए.पी.एल.(एस.टी/एस.सी./अन्य)
4. स्वीकृति कमांक:—————— दिनांक : ——————————————
5. शौचालय निर्माणकर्ता —– स्वयं लाभार्थी केवल
6. कार्य प्रारंभ का दिनांक ——————
7. शौचलाय पूर्ण कर उपरोक्त प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करने का दिनांक ——————
8. रोजगार सहायक/कनिष्ट लिपिक/ग्राम सेवक द्वारा निरीक्षण दिनांक ————————————
9. निर्मित किए गए शौचालय का फोटो :–

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जारी स्वीकृति के अनुरूप नवीन शौचालय का निर्माण कर उपयोग में लिया जा रहा है। जिसका फोटो उपरोक्तानुसार संलग्न है। अतः प्रार्थी को प्रोत्साहन/पारितोषिक राशि का भुगतान किए जाने की अनुशंसा करता हूँ।

हस्ताक्षर – लाभार्थी	नाम एवं हस्ताक्षर प्रेरक (यदि लाभार्थी का शौचालय प्रेरित कर बनवाया हो)	हस्ताक्षर – ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ट लिपिक/सचिव (कोई एक)

नोट :– नरेगा के श्रमिकों को भुगतान करने हेतु पूर्व में पत्रांक्र दिनांक 30अक्टूबर2012 द्वारा जारी सरलीकृत उपयोगिता प्रमाणपत्र मान्य होगा।

491

4 R (2) M - 5

Utilization Certficate

GP,......................................,PS..., District.. NBA, Rajasthan

(Centre/State Share)

Ref; No.	File/letter no.	Amount		Date:
		Centre	State	
S. No	Letter no.			Certified that out of Rs. .... of grants in aid sanctioned during the year.................in favour of GP, Rajasthan vide different..........given in the margin and Rs................. interest .... and **miscellaneous receipt**..........................On account of unspent balance with the GP as per list attached of the previous year, a sum of Rs. .... has been utilized by the GP as per list attached for the purpose of approved work under NBA for which it was sanctioned and the balance of Rs. .... remaning unutilized with the GP as per list attached at the end of the year shall be carried forward to the next months for imoplementation of the programme.
Total				

	Physivcal output under NBA for the utilized funds as reported in the income and expenditure account as per enclosed DO of ACS (RD&PR) Dated 25.04.2013 of point no. 2 details			
	Components	Performance/ nos of units constructed	unit cost in Rs.	total cost in Rs.
1	IHHL (BPL)		1200	
			3200	
			4600	
2	IHHL (APL)			
3	Community Sanitary Complex		180000	
4	School Toilets (old rate)			
	School Toilets (new rate)		35000	
5	Toilet in Rajive Gandhi Sava Kendra at GP level			
6	Toilet in Rajive Gandhi Sava Kendra at PS level			
7	Anganwadi Toilets (old rate)		5000	
	Anganwadi Toilets (new rate)		8000	
8	SLWM			
9	RSM/PC			
10	Admin expen			
	DSU			
	BSU			
	Motivators @ 3500 under IEC			
	Motivators @ 75/50/25 under IEC			
11	IEC expen			
12	Training expen			
	Distrcit level			
	Block level			
	GP level			
	Total			

Signature (Sarpanch)

Signature (Secretary)

सत्यमेव जयते

ADDL. CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT
RURAL DEV. & PANCHAYATI RAJ DEPTT.
RAJASTHAN, JAIPUR-302 005

अ.शा. क्रमांक एफ 4 (4) पराविं / पीसी / एनबीए / प्रगति / 2012-13/1559 दिनांक : 25-4-13

प्रिय श्री Vaibhav

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत जिले द्वारा आप के प्रतिनिधि से से किए गए मिलान अनुसार विगत वर्षो में विभिन्न एजेन्सियों को दिए गए अग्रिम के विरूद्ध अवशेष राशि (लाखों में) का विवरण निम्नानुसार है।

N.G.O	S.S.A	Panchyat Samitee	Gram Panchyat	RSM/PC	ZP(GVP) for IAY toilets	Others	Total U.C required	U.C Received but not adjusted	Total advance	Unspent Cash Balance
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00.00	54.68	5.72	00.00	11.25	00.00	4.38	76.03	17.17	93.20	82.79

उपरोक्तानुसार दिए गए अग्रिम का समायोजन नही होने के कारण भारत सरकार से योजनामद में राशि प्राप्त नही हो पा रही है। जिसके कारण राज्य की प्रगति बाधित हो रही है।

आप से अपेक्षा है कि आप आपके स्तर से समीक्षा कर इसी वित्तीय वर्ष में विशेष अभियान चलाकर शेष उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समायोजन निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कराना सुनिश्चित करावें। ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप जिले को राशि प्राप्त हो सके।

1. कालम संख्या 8 में वर्णित राशि के प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अविलम्ब समयोजन करवाने के साथ साथ अबतक समायोजन नही किए जाने की समीक्षा कर दोषी कार्मिकों के विरूद्ध अविलम्ब कार्यवाही अमल में लावे।
2. एस.एस.ए. / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत को दिए गए अग्रिम के विरूद्ध सम्पादित हुए कार्यो का एकजाई विवरण निम्न प्रपत्र में तैयार कराने के निर्देश देते हुए पृथक–पृथक उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी न करने के निर्देश देते हुए एकजाई उपयोगिता प्रमाणपत्र (सलग्नानुसार) जारी करने हेतु निर्देश प्रदान करावे। जिसपर सक्षमकर्ता द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया हो कि राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार (संलग्न सूची) परिसम्पत्तियों के सृजन में किया गया है।

Sl. no	ame of Work (IHHL beneficiary name /School/ Anganwadi/comunity complex)	Category APL/BPL etc.	Gram	Gram Panchyat	Sanction Amount	Sanctio n no.	Utilized amount	If M.B filled mb no./page no.
1	2	3	4	6	6	7	8	9

3. एस.एस.ए / पंचायत समिति को दी गई राशि के पेटे यदि व्यय हो गया है परन्तु कार्य पूर्ण नही हुआ है। कार्यवार हुए व्यय का विवरण की सूची तैयार करवा कर ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधान अनुसार (परिशिष्ट–17) उपरोक्तानुसार आंशिक समायोजन (Part adjustment) कराना सुनिश्चित करावे।
4. संस्थाओं द्वारा राशि का उपयोग नही किए जाने / अन्य कार्यो में उपयोग लिए जाने की अवस्था में जिला स्तर / पंचायत समिति स्तर से अन्य योजना मदों में इस वित्तीय वर्ष में दिए जानेवाले निधियों से सीधे ही एन.बी.ए. मद में लिया जा कर समायोजन करवाना सुनिश्चित करावे। गैर सरकारी सगठन / वयक्तिगत को दिए गए अग्रिम की नकद प्राप्ति हेतु अंतिम नोटिस जारी करते हुए 7 दिवस में नकद जमा करवाने के निर्देश जारी करावे। राशि जमा न कराने की अवस्था में संबंधित के विरूद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.डी.आर. के तहत वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करावे तथा की गई कार्यवाही से अवगत करावे।

भवनिष्ठ

(सी.एस.राजन)

श्री वैभव गैलारिया
जिला कलक्टर
जिला - अजमेर

Telephone : (O) 0141-2227635 (Telefax), PBX : 5153222 Ext. 1547, (R) 270734?
e-mail : cs.rajan@nic.in

Nirmal Bharat Abhiyan (NBA)

PHYSICAL PROGRESS AS ON 15.09.2014 (AT A GLANCE)

S.N.	District Name	Total No. of GP	Total Sanction can be issue against requirement as per base line	Target 2014-15	Total Sanction release under NBA against column 3	%age of sanction against target	Convergence up to 2014-15 against column 5	Completed up to 2013-14	Completed in the year 2014-15	Total Completed	% Completed on against target	गत माह तक की प्रगति	Entered On MIS No.	गत माह की प्रगति एवं इस प्रस्तुत की गई प्रगति में वृद्धि संख्या	MR ISSUED	No of Gp ready for inter district verfication	Sanction release in panchyat Diwas	SLWM position: proposal required of Inter district verfied GP's	SLWM position: proposal recived and approved by PRD	SLWM position: proposal sanctioned by district & work start or not	District Name	[illegible]	District Name	% Larger to smaller
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	AJMER	276	204819	85000	86450	101.71	77529	5537	4497	10094	11.88	7807	1322	2287	6012	8	63006	12	12	sanction under process	BARMER	0	JAISALMER	70.63
2	ALWAR	472	491722	200000	71032	35.51	68540	8039	5987	14026	7.01	12036	166	1990	7197	34	17294	14	7	sanction but 1st installment not released so work not start	BHARATPUR	0	BIKANER	68.49
3	BANSWARA	307	325649	141220	79204	56.09	79204	7534	3176	10680	7.56	10197	441	483		4	16376	1	0		BUNDI	0	CHURU	67.02
4	BARAN	214	165007	70000	109392	156.27	109392	5147	2719	7866	11.24	7557	349	309	1009	1	70040				KOTA	0	PALI	43.70
5	BARMER	380	219505	91000	64660	71.05	40094	13990	3490	17480	19.21	17480	0	0	4663	0	6243				S. Madho	0	HANUMANGARH	40.84
6	BHARATPUR	371	303893	126000	75594	60.00	17748	985	3246	4231	3.36	4231	0	0	2686	0	8599				SIROHI	0	JODHPUR	35.55
7	BHILWARA	383	358806	148000	90638	61.24	17130	4630	1385	6045	4.08	5255	0	790		30	23745		0		TONK	0	JHUNJHUNU	30.83
8	BIKANER	219	95850	41000	64023	156.15	64023	14880	13200	28080	68.49	26161	0	1919	0	111	0	57	58		UDAIPUR	0	NAGAUR	28.62
9	BUNDI	181	152651	64000	43757	68.37	10251	9738	5938	15676	24.49	20201	0	0	24165	40	10365	8	11	10 work start	PRATAPGARH	0	BUNDI	24.49
10	CHITTORGARH	288	206574	106000	47505	44.82	46556	11816	9693	21509	20.29	13124	267	8385	3133	9	22192	1	0		JHALAWAR	83	SIROHI	24.02
11	CHURU	249	89581	40000	53696	134.24	53696	22425	4381	26806	67.02	24853	407	1953	30387	15	4381	49	36		SIKAR	107	RAJSAMAND	20.63
12	DAUSA	225	210478	88000	139813	158.88	139813	5010	1589	6599	7.50	5599	0	1000	2254	0	93276		0		JAISALMER	205	CHITTORGARH	20.29
13	DHOLPUR	153	160316	64000	99994	156.24	99994	4936	1288	6274	9.80	5370	131	904	1013	0	83135	2	2		RAJSAMAND	243	UDAIPUR	20.27
14	DUNGARPUR	237	314365	124000	126291	101.85	126291	6728	2292	9020	7.27	8712	0	308	1337	8	126291	6	0		DUNGARPUR	308	BARMER	19.21
15	GANGANAGAR	320	84268	38000	33585	88.38	33585	2858	4408	7276	19.16	6405	106	871		10		12			BARAN	309	KARAULI	19.19
16	HANUMANGARH	251	56817	28000	46252	165.11	17873	5442	5992	11434	40.84	10381	0	1053		18	9338	18	4		BANSWARA	483	GANGANAGAR	19.15
17	JAIPUR	489	531967	215000	171771	79.89	170380	7002	9880	16882	7.85	9742	0	7140		1	151388	2	1		JHUNJHUNU	783	JALOR	16.05
18	JAISALMER	128	54416	25000	31240	124.96	31240	9076	8581	17657	70.63	17452	28	205	4096	12	13137	13	0		BHILWARA	790	SIKAR	12.58
19	JALOR	264	253117	80000	64308	80.39	53095	9406	3432	12838	16.05	10666	402	2172	1025	0	24134	16	0		GANGANAGAR	871	AJMER	11.88
20	JHALAWAR	252	222033	92000	67959	73.87	67959	7950	421	8371	9.10	8288	0	83		2	4200	4	0		DHOLPUR	904	BARAN	11.24
21	JHUNJHUNU	288	133919	58000	37397	64.48	25732	15281	2599	17880	30.83	17097	430	783	25732	75	1148	30	21		DAUSA	1000	KOTA	10.21
22	JODHPUR	339	178999	74000	57060	77.11	0	17377	8930	26307	35.55	16664	270	9643		2	21145	13	3		HANUMANGARH	1053	DHOLPUR	9.80
23	KARAULI	223	370852	152000	120451	79.24	120451	22272	6891	29163	19.19	10325	0	18838	8365	23	53153	6	0		BIKANER	1919	JHALAWAR	9.10
24	KOTA	156	139093	58000	36178	62.38	36178	4771	1152	5923	10.21	5923	0	0		15	6812	4	2		CHURU	1953	JAIPUR	7.85
25	NAGAUR	461	302607	78000	101454	130.07	26418	7318	15007	22325	28.62	11975	693	10350	1422	0	67839	17	8		ALWAR	1990	BANSWARA	7.56
26	PALI	320	184803	78000	79846	102.37	55911	9763	24322	34085	43.70	12534	2238	21551	3404	15	47311	7	3	sanction under process	JALOR	2172	DAUSA	7.50
27	RAJSAMAND	205	90171	40000	18176	45.44	4831	6659	1593	8252	20.63	8009	1092	243		4	14289	4	0		AJMER	2287	DUNGARPUR	7.27
28	S. Madho.	197	221744	204969	204969	100.00	204969	5983	3106	9089	4.43	9089	0	0	14471	4	151241	2	2		JAIPUR	7140	ALWAR	7.01
29	SIKAR	329	169945	72000	54081	75.11	47455	1817	7240	9057	12.58	8950	8	107	2400	0	40083	12	6	sanction under process	CHITTORGARH	8385	S. Madho	4.43
30	SIROHI	151	79006	34000	16188	47.61	15223	6648	1520	8168	24.02	8168	0	0	30387	15	11240	14			JODHPUR	9643	BHILWARA	4.08
31	TONK	230	192162	198000	22263	11.24	20357	605	4218	4823	2.44	4823	1345	0		0	8400				NAGAUR	10350	BHARATPUR	3.36
32	UDAIPUR	467	488489	198000	92356	46.64	49028	28858	11276	40144	20.27	40144	636	0		0	64894	13	गत वर्ष की प्रगति के आंकड़े बोर्ड से प्रस्तुत करने के कारण, प्रगति कम दिखाई दे रही है।		KARAULI	18838	TONK	2.44
33	PRATAPGARH	0								0				0							PALI	21551		
	Grand Total	9025	7054624	3111189	2407543	77.38	1930946	290611	183449	474060	15.24	385218	10331	93367	175108	456	1234695	336	176			93367		

Total IHHL Complete 474060 (4.74 lac)
IN 2 years

जिले की प्रगति का सारांश (दिनांक 15.09.2014 तक की स्थिति) AT A GLANCE

क्र.सं.	जिला का नाम	वर्ष 2014-15 में प्राप्त राशि		राशि	कुल उपलब्ध राशि (3+4+5)	कुल व्यय	%age	expenditure entered on MIS	शेष उपलब्ध राशि			लम्बित भुगतान की संख्या	पंचायत दिवस को किए गए लम्बित भुगतान की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या जिनमें रिवाल्विंग फंड जारी किया गया	रिवाल्विंग फंड की राशि	राशि की मांग	नियोजित प्रेरकों की संख्या	जिले का नाम	Position of advance in descending order
		नकद	प्रकार्य अग्रिम				व्यय		नकद	प्रकार्य अग्रिम	कुल शेष राशि (19+20)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	AJMER	220.46	179.55	50	450.01	233.58	51.91	3.76	131.85	84.58	216.43	640	579	30	60	200	114	DUNGARPUR	1775.67
2	ALWAR	757.52	260.73	39.9	1058.15	206.56	19.52	6.17	590.89	462.42	1053.31	0	692	28	27.3	0	60	UDAIPUR	1457.49
3	BANSWARA	302.43	1292.85	0	1595.28	87.24	5.47	20.29	602.69	905.35	1508.04	97	318	307	424.45	1154	38	BANSWARA	905.35
4	BARAN	178.86	176.51	316	671.37	22.58	3.38	0.09	83.91	564.78	648.69	0	0	373	379	74.6	428	PALI	620.55
5	BARMER	357.16	544.69	0	901.85	249.38	27.65	0.00	107.78	544.69	652.47	274	11	214	404.03	200	0	JALOR	618.999
6	BHARATPUR	271.3	216.08	0	487.38	150.78	30.93	0.00	32.07	354.58	386.65	0	0	87	258.65	0	0	GANGANAGAR	583.29
7	BHILWARA	269.44	212.32	71.86	553.62	420.06	75.88	0.00	42.86	90.7	133.56	0	69	365	55	1400	0	JAIPUR	577.71
8	BIKANER	940.89	477.47	0	1418.36	196.12	13.83	0.00	748.97	477.47	1226.44	0	0	1	0.5	0	74	BARAN	564.78
9	BUNDI	172.78	364.97	0	537.75	38.35	7.13	0.00	94.48	404.92	499.4	2191	2191	90	427.8	600	20	BARMER	544.69
10	CHITTORGARH	294.82	325.84	0	620.66	130.42	21.01	7.59	44	446.24	490.24	26	18	288	285	350	8	BIKANER	477.47
11	CHURU	195.65	57.89	130.91	384.45	192.88	50.17	29.30	82.61	109.78	192.39	125	3480	0	0	0	0	ALWAR	462.42
12	DAUSA	232.7	22.76	92.88	348.34	42.37	12.16	0.00	110.22	195.75	305.97	0	28	225	215.39	51.96	750	Jhalawar	452.61
13	DHOLPUR	136.6	270.139	50	456.739	12.851	2.81	0.14	139.04	304.847	443.887	185		58	114	0	24	CHITTORGARH	446.24
14	DUNGARPUR	526.3	1372.17	0	1898.47	6.64	0.35	0.00	116.16	1775.67	1891.83	1500	0	237	1273.5	100	150	JAISALMER	419.09
15	GANGANAGAR	312.85	449.93	74.58	837.36	0.45	0.05	4.88	179.04	583.29	762.33						55	BUNDI	404.92
16	HANUMANGARH	148.51	302.95	3.6	455.06	112.08	24.63	0.00	9.71	333.27	342.98	0	0	21	17.5	7660.97	133	JODHPUR	364.04
17	JAIPUR	297.25	561	50	908.25	148.24	16.32	0.00	182.3	577.71	760.01	6867	10015	115	550.14	3000	720	KOTA	362.35
18	JAISALMER	194.96	494.99	27.82	717.77	136.53	19.02	1.29	162.15	419.09	581.24	164	0	9	45	0	196	BHARATPUR	354.58
19	JALOR	501.0853	459.6273	0	960.713	154.6162	16.09	18.49	156.102	618.999	775.1009	0	0	264	620.46	0	348	HANUMANGAR	333.27
20	Jhalawar	318.51	437.61	0	756.12	118.51	15.67	0.00	200	452.61	652.61	287	287	35	179.05		70	DHOLPUR	304.847
21	JHUNJHUNU	94.83	102.53	157.56	354.92	175.28	49.39	19.78	69.06	110.58	179.64	0	6	45	154.66	1665.88	94	SIKAR	304.79
22	JODHPUR	351.28	383.17	0	734.45	34.8	4.74	12.42	407.75	364.04	771.79	0	2663	17	85	0	60	TONK	291.67
23	KARAULI	374.98	234.56	0	609.54	415.9	68.23	0.00	87.9	105.64	193.54	57	57	55	146.38	1295	60	S Madho	276.13
24	KOTA	273.82	192.35	0	466.17	18.82	4.04	0.00	85	362.35	447.35	1	1	137	271	500	60	DAUSA	195.75
25	NAGAUR	198.21	29.8	62.96	290.97	227.17	78.07	2.53	45.58	140.27	185.85	1777	208	45	148	4370	40	RAJSAMAND	181.89
26	PALI	303.45	822.922	0	1126.37	492.04	43.68	87.49	113.78	620.55	734.33	16059	58	320	171.66	1949	300	NAGAUR	140.27
27	RAJSAMAND	272.23	137.36	0	409.59	90.65	22.13	51.67	146.85	181.89	328.74	0	0	69	133.27		12	SIROHI	128.64
28	S. Madho	266.28	382.98	0	649.26	106.85	16.46	0.00	266.28	276.13	542.41	0	0	197	317	150	58	JHUNJHUNU	110.58
29	SIKAR	342.51	235.15	6.85	584.51	29.65	5.07	0.37	249.26	304.79	554.05	0	0	38	82	451.53	0	CHURU	109.78
30	SIROHI	119.14	134.05	0	253.19	55.31	21.85	0.00	69.24	128.64	197.88	179	179	6	27	35	30	KARAULI	105.64
31	TONK	321.56	144.67	0	466.23	4.21	0.90	16.05	170.35	291.67	462.02	0	0	34	197	690	18	BHILWARA	90.7
32	UDAIPUR	549.99	1670.421	0	2220.41	308.339	13.89	30.84	460.072	1457.49	1917.562	0	0	467	796.253	0	0	AJMER	84.58
33	Pratapgrh			50	50						0							Pratapgrh	
	TOTAL	10098.36	12950.04	1134.92	24183.3	4619.306	19.10	313.15	5987.95	14050.8	20038.74	30432	20860	4177	7315.853	25897.94	3920		14050.79

Note :- प्रगति एमआईएस में दर्ज नही होने की वजह से भारत सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष 81 करोड़ की कटौती की गई है।

494

पंकज जैन, आई.ए.एस
PANKAJ JAIN I.A.S.

सचिव
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
Secretary
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation
247, 'A' Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011
Tel. : 23061207, 23061245 Fax : 23062715
E-mail : secydws@nic.in
Website : www.ddws.nic.in

सत्यमेव जयते

D.O. No. W 11013/08/2014 (PI)
30th September 2014

Dear Chief Secretary

Sub: Restructuring of the Nirmal Bharat Abhiyan and its replacement by "Swachh Bharat Mission (Gramin)"

Government of India has approved the restructuring of Nirmal Bharat Abhiyan (NBA), which will now be replaced by a new programme called "Swachh Bharat Mission (Gramin)". The Mission will be launched by the Hon'ble Prime Minister of India on 2nd October, 2014. The main features are as follows:-

i. Swachh Bharat Mission will have two sub-Missions - Swachh Bharat Mission (Gramin) for rural areas and Swachh Bharat Mission (Urban) for urban areas. Budgetary provisions for the two sub-Missions will be provided separately in the Demand for Grants of the Ministry of Drinking Water and Sanitation (for Gramin) and Ministry of Urban Development (for Urban).

ii. The unit cost of the Individual Household Latrine (IHHL) is enhanced from Rs. 10,000 to Rs. 12,000 so as to provide for water availability, including for storing, hand-washing and cleaning of toilets.

iii. Central share for IHHLs to be Rs. 9,000 (75 percent) from Swachh Bharat Mission (Gramin). The State share to be Rs. 3,000 (25 percent). For North Eastern States, Jammu and Kashmir and Special category States, the Central share will be 10,800 and the State share Rs. 1,200 (90 percent:10 percent).

iv. Provision will be separately included in the Indira Awas Yojana Programme for provision of functional toilets for IAY houses. Till such provision is made, existing arrangement of funding will be continued from the Swachh Bharat Mission (Gramin).

v. Provision for Information, Education and Communication (IEC) will be at 8 percent of total project cost, with 3 percent to be utilized at the Central level and 5 percent at State level.

vi. Provision for Administrative Cost will be 2 percent of the project cost. Sharing pattern will be 75:25 between Centre and State.

vii. [redacted] be paid from the Swachh Bharat Mission (Gramin).

viii. All other components of the Nirmal Bharat Abhiyan that is Solid Liquid Waste Management (SLWM) and Community Sanitary Complexes (CSCs) will be retained. SLWM funding will be at 75:25 sharing pattern. For CSCs it will be 60:30:10 (Centre; State; Community). CSCs will be constructed only when the Gram Panchayat takes the responsibility of ownership and a sustainable operation and maintenance system is assured. CSCs will include public toilets at markets/bus stands/ peri-urban areas/census towns etc., wherever ownership and operation and maintenance is assured. CSCs/public toilets will also be considered under Public Private Partnership (PPP)/VGF mode.

ix. The responsibility of construction of all School toilets is transferred to the Department of School Education and Literacy and of Anganwadi toilets to the Ministry of Women and Child Development.

x. The strategy of implementation of the Sanitation Programme will focus on behaviour change, triggering of the population with regard to toilet construction, and their use. Triggering of communities for behaviour change and usage of toilets shall be given top priority to ensure increased demand, which will lead to use of assets created. Effective use of technology and media shall be done to communicate the message of the benefits of safe sanitation and hygiene.

xi. Monitoring mechanism will be strengthened. Outputs (construction) and outcomes (usage) will be monitored. There will be a comprehensive re-appraisal of the programme at end of the 12th Plan.

xii. States shall prepare an Implementation Strategy (Annual Implementation Plan) in consultation with the Mission. States performing as per their Plans will be incentivized. States achieving their targets prior to scheduled dates shall be further incentivized.

xiii. A menu of accredited technology options for toilets and SLWM projects shall be made available to the States by the Swachh Bharat Mission. The Mission will provide a list of minimal acceptable technologies for which assistance under this programme will be available. However, use of any superior technology will be permitted at additional cost to be borne by the beneficiary.

xiv. The Implementation of Swachh Bharat Mission (Gramin) will start with effect from 2.10.2014.

2. The detailed guidelines in terms of the above are being finalized and shall be issued separately.

With regards

Yours sincerely,

(Pankaj Jain)

To All Chief Secretaries